सरकारी स्कीमों से लाभ उठाने की बाबत प्रस्ताव

1- वे सरकारी क़र्ज़े जिनका कुछ हिस्सा माफ़ कर दिया जाता है और ली हुई रक़म से कम वापस करना पड़ता है ऐसे क़र्ज़ों का लेना जायज़ है।

2- वे क़र्ज़े जिनमें एक निर्धारित अवधि के अन्दर वापस करने पर माफ़ी होती है वर्ना पूरी रक़म वापस करना पड़ती है, ऐसे क़र्ज़ों का लेना भी उचित है।

3- वे क़र्ज़े जिनमें निर्धारित अवधि के बाद क़र्ज़ वापस करने के बाद कुल रक़म की वापसी के साथ कुछ अधिक रक़म भी अदा करनी पड़े ऐसे क़र्ज़ बिना किसी सख़्त ज़रूरत के लेना जायज़ नहीं है।

4- वे क़र्ज़े जिनकी वापसी पर मूल से अधिक रक़म अदा करना पड़ती हो नाजायज़ है, हां यदि वह क़र्ज़दार माहिर, विश्वसनीय मुफ़्तियों की राय के अनुसार उस जैसे कार्य के लिए निश्चय ही सर्विस चार्ज़ कहलाने योग्य हो और किसी तरह भी सूद लेने का बहाना न हो तो लेने की गुंजाइश है।

5- क़र्ज़ पर ली जाने वाली अधिक रक़म का मध्यक साधारण न हो कि जिसको दफ़्तरी ख़र्च समझ लिया जाए, वह रक़म सूद है और सामान्य स्थिति में ऐसा क़र्ज़ लेना जायज़ नहीं है।

6- मकान या शौचालय को बनाने या शैक्षिक ज़रूरतों के लिए सरकार की ओर से सहायता के तौर पर जो रक़म मिलती है उसे हासिल करना और उसका इस्तेमाल करना सही है।

7- रिश्वत लेना और देना जायज़ नहीं है, हां सरकार की ओर से मिलने वाली राशि हासिल करने की कार्य विधि से कोई व्यक्ति परिचित न हो या किसी कारणवश उसको पूरा करने पर समर्थ न हो और वह किसी ऐसे व्यक्ति की मदद हासिल करे जो उसकी प्राप्ती के लिए भाग दौड़ और प्रयत्न करता हो और यह कोशिश उसकी ज़िम्मेदारी में न आती हो तो परिश्रमिक के तौर पर उचित निर्धारित रक़म का लेन देन सही है।

8- इमदादी रक़म या क़र्ज़ हासिल करने के लिए जो स्तर व शर्तें सरकार की ओर से निश्चित हों, इस बारे में झूठ व धोखे से काम लेना और अनुचित तरीक़ों से सहायता या क़र्ज़ हासिल करना सही नहीं है।

9- शिक्षा या किसी और उद्देश्य के लिए सरकार जनता को बैंक से क़र्ज़ दिलाए और उस पर लागू होने वाली अत्यधिक रक़म स्वयं क़र्ज़ लेने वाले को अदा न करना पड़े बल्कि स्वयं सरकार अदा करे तो इस प्रकार का क़र्ज़ लेना सही है।

10- जिन स्कीमों में सरकार ने सुरक्षित फंड स्थापित करके उसको बैंक में डिपोज़िट कर दिया और उसके सूद से प्राप्त रक़म का मालिक होकर शैक्षिक व कल्याणकारी संस्थानों व व्यक्तियों की मदद करती है, ऐसी स्कीमों से लाभ उठाने की गुंजाइश है।

11- दूसरी राष्ट्रीय यूनिटों की तरह मुसलमानों का भी सरकारी कोष में हक़ है इस लिए सरकारी स्कीमों से मुसलमानों को लाभ उठाना चाहिए बशर्ते कि उसमें कोई ऐसी बात न हो, जो शरअी रूप से वर्जित

हो।

12- सेमिनार में भाग लेने वाले मुस्लिम बुद्धिजीवियों, संस्थाओं और संस्थानों के प्रतिनिधियों और सूझ बूझ रखने वालों का ध्यान आकृष्ट कराते हैं कि सरकारी वैध स्कीमों का लोगों में अत्यधिक परिचय कराएं और निःशुल्क यथा संभव सहयोग का माहौल पैदा करें।

☆☆☆

नोटः 26 वां फ़िक़्ही सेमिनार (उज्जैन, मध्य प्रदेश) दिनांक 4 से 6 मार्च 2017 ई0